

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 295
24 जुलाई, 2024 को उत्तर देने के लिए

महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन

295. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा :

श्री प्रदीप पुरोहित:

श्री अजय कुमार मंडल:

श्रीमती मालविका देवी:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महिला वैज्ञानिक योजना के तहत बिहार विशेषकर भागलपुर की बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की जा रही है;
- (ख) महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेष रूप से बिहार में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और
- (घ) इस योजना के लिए वर्तमान बजट में कितना बजटीय प्रावधान किया गया है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) के क्षेत्र में अनुसंधान करियर बनाने के लिए 'महिला वैज्ञानिक योजना' के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में बिहार की दस (10) बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों को 1.66 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

(ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने महिला वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन हेतु एक समर्पित योजना 'विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (वाइज-किरण)' शुरू की। वाइज-किरण योजना में कई कार्यक्रम हैं जो महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। वाइज-किरण के अंतर्गत, 'महिला वैज्ञानिक योजना', उन महिला वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करती है जिन्होंने अपने करियर में ब्रेक लिया था। 'पीएचडी हेतु वाइज फेलोशिप (वाइज-पीएचडी)' बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान

में पीएचडी करने का अवसर प्रदान करता है और 'वाइज पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (डब्ल्यूआईएसई-पीडीएफ)', उन्हें बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान में पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, 'वाइज-स्कोप' कार्यक्रम महिलाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बेहतरकारी उपाय के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक और नया कार्यक्रम 'विदुषी' वरिष्ठ महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करने हेतु सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, 'आईपीआर में वाइज़ इंर्नशिप (वाइज़-आईपीआर)' कार्यक्रम बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों को एक साल का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ग) वर्ष 2019 से लगभग 1690 महिला वैज्ञानिक वाइज़-किरण योजना के तहत लाभान्वित हुई हैं। बिहार सहित लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वाइज़-किरण के अंतर्गत लाभान्वित महिलाएं
1.	अंडमान और निकोबार	1
2.	आंध्र प्रदेश	33
3.	अरुणाचल प्रदेश	3
4.	असम	34
5.	बिहार	10
6.	चंडीगढ़	33
7.	छत्तीसगढ़	12
8.	दिल्ली	190
9.	गोवा	8
10.	गुजरात	39
11.	हरियाणा	46
12.	हिमाचल प्रदेश	16
13.	जम्मू और कश्मीर	40
14.	झारखंड	12
15.	कर्नाटक	109
16.	केरल	110
17.	लद्दाख	1
18.	मध्य प्रदेश	42
19.	महाराष्ट्र	180
20.	मणिपुर	14

21.	मेघालय	1
22.	मिजोरम	6
23.	नागालैंड	5
24.	ओडिशा	26
25.	पुडुचेरी	7
26.	पंजाब	51
27.	राजस्थान	42
28.	सिक्किम	1
29.	तमिलनाडु	162
30.	तेलंगाना	93
31.	त्रिपुरा	4
32.	उत्तर प्रदेश	177
33.	उत्तराखंड	43
34.	पश्चिम बंगाल	139
	कुल	1690

(घ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (वाइज़-किरण) के लिए बजटीय आवंटन 135.50 करोड़ रुपये हैं।
